# कार्यालय प्राचार्य,
# शासकीय महाविद्यालय भानपुरी, जिला–बस्तर (छ.ग.)

Email Id-gcbhanpuri@rediffmail.com Website-www govtcollegebhanpuri.in


क्रमांक/43/स्था./अति.व्या./2026, भानपुरी, दिनांक 25/08/2026

## //अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक/ESTB-2035/637/2026 RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/08/2026 एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18/08/2026 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में अध्यापन व्यवस्था **सत्र 2026–27** हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। **आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 03/09/2026 को सांय 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है।** निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–**

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रथंपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक /ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूत्तम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
   **नोटः–स्नात्तकोत्तर स्तर में मूल विषय के अभ्यर्थियों के आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। संबंधित विषय (Allied Subject) में स्नात्तकोत्तर के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
2. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ अधिकारी एवं अतिथि गंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

**रिक्त पदों का विवरणः–**

| क्रं. | विषय का नाम | रिक्त पद | प्राध्यापक | सहायक प्राध्यापक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजनीति विज्ञान | 01 | – | 01 |

टीपः– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थांनातरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एंव अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तेः–

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण–पत्र, 10वी., 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर सेट/नेट एम. फिल/पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक 03/09/2026 को सांय 05.00 बजे तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है,** प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईड पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईड नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाईड में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईड में विस्तृत विवरण भी अपलोड़ किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 03 दिवस तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक–.....को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईड अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं जाये जाने के आधार पर अभ्यार्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. मानदेय :–

    अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :–

    - अतिथि व्याख्याता मानदेय – 2000/–प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
    - अतिथि शिक्षण सहायक–1400/–प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय /प्राचार्य शा. कन्या महाविद्यालय भानपुरी एवं आवेदित विषय/पद, मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहा है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

25/8/26

समिति/संयोजक
अतिथि व्याख्याता

25/08/26

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी
जिला–बस्तर (छ.ग.)